भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ

नागरिक घोषणा-पत्र

1. **परिचय**

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएचएफ) को वर्ष 1969 में राज्य स्तरीय सहकारी आवास संघों द्वारा स्थापित किया गया था। यह संघ बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत एक समिति के रूप में पंजीकृत है और इसकी गतिविधियों की निगरानी एक निदेशक मंडल द्वारा की जाती है जिसका निर्वाचन संघ की साधारण निकाय (जनरल बोडी) द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास संघों (एसीएचएफ), भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस संघ का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

2. **दृष्टिकोण व मिशन**

एनसीएचएफ का दृष्टिकोण आवास सहकारी समितियों विशेषतया: एसीएचएफ को, जोकि एनसीएचएफ के सदस्य हैं, को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन व समन्वय के माध्यम से पूरे देश में सहकारी आवास आन्दोलन को मजबूत करना है तथा सहकारिताओं की मार्फत 'सभी के लिए किफायती आवास' के सपने को साकार करना है।

उपरोक्त बताये गये दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए एनसीएचएफ प्रयासरत रहता है कि: आवास सहकारिताओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिये एक साझा मंच (फोरम) सुलभ कराए तथा उनको सुलझाने के लिए तौर तरीके बताए; वह प्रचार-प्रसार का काम जारी रखे; सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना कार्यक्रम के साथ-साथ सम्मेलनों/गोष्ठियों का आयोजन करे; शोध अध्ययन करे; सूचना का प्रचार करके लागत प्रभावी निर्माण प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, निर्माण सामग्री और

डिजाइनों को बढ़ावा दे; देश में प्रमुख प्रौद्योगिकी सवंर्धन संस्थानों के साथ सम्पर्क करना; तथा कुशल प्रबंधन और साधारण बीमा हेतु मार्गदर्शन करे।

3. सदस्यों और उपलब्धियों का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कुल 25 शीर्ष सहकारी आवास संघ कार्यरत हैं, जिसमें 24 राज्य संघ एनसीएचएफ के सदस्य हैं। लगभग 28,500 आवास समितियां इन शीर्ष सहकारी आवास संघों से संबद्ध हैं। शीर्ष सहकारी आवास संघ केन्द्रीय वित्त संस्थानों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, हडको वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों आदि से राशि जुटाकर प्रायमरी आवास सहकारिताओं और अपने सदस्यों को देते हैं। शीर्ष संघों ने अब तक देश में 24.66 लाख आवास यूनिटों के निर्माण/वित्तपोषण हेतु 13,311 करोड़ रूपये के आवास ऋण उपलब्ध कराए हैं।

4. प्रदत्त सेवाएं

एनसीएचएफ राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास संघों और उनसे जुड़ी प्रायमरी समितियों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:

- **सूचना-सामग्री की मदद**

  आवास निर्माण नीतियों, राजकोषिय नीतियों, ब्याज दरों, कर्ज की शर्तों तथा आवास निर्माण बावत कानूनी और प्रशासनिक नीतियों के बारे में लगातार सूचना-सामग्री सुलभ कराई जाती है।

  सहकारी आवास पर एक प्रलेखन केन्द्र की स्थापना की गयी, जहां एक संदर्भ पुस्तकालय भी है जिसमें रिर्पोटों, प्रकाशनों और मशहूर लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। साथ ही आवास सहकारिताओं की सदस्यता, शेयरपूंजी, उधार एवं आवास निर्माण गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध है। प्रलेखन केन्द्र में विभिन्न उपयोगी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि की खरीद द्वारा उसे लगातार समृद्ध बनाया जा रहा है।

- **शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान**

आवास समितियों के सदस्यों, पदाधिकारियों तथा निगरानी स्टाफ के लिये संगठन–प्रबंधन, संसाधन जुटाव, वित्त प्रबंधन, नेतृत्व विकास, रिकार्ड रखने की शैली, लेखा परीक्षण, भवन निर्माण तकनीकों, आवासों और सामुदायिक परिसम्पत्तियों आदि विषयों पर नियमित आधार पर अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विवरण पत्रों एवं मासिक पत्रिका के जरिये आवास सहकारिताओं को परिचालित किये जाते हैं। एनसीएचएफ अपने सदस्य संघों तथा अन्य हितबद्धपक्षों के लिये सहकारी आवास निर्माण गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करता है तथा सूचना–सामग्री का संकलन करता है।

- **सेमिनार एवं संगोष्ठियां**

सामान्यतया आवास एवं विशेष तौर से सहकारी आवास पर नीति सम्बन्धी निहितार्थ वाले चयनित विषयों पर सम्मेलनों, सेमिनारों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इन आयोजनों के विवरण अन्तवर्ती पत्रिका और पत्र व्यवहार द्वारा सभी हितबद्ध पक्षों को परिचालित किये जाते हैं।

- **प्रकाशन**

  - एनसीएचएफ बुलेटिन – मासिक हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषी प्रकाशन जारी करता है, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर लेख/सूचना–सामग्री सुलभ होती है।
  - नियमित रूप से आवास सहकारिताओं के संगठन और प्रबन्धन पर अनेक अन्य प्रकाशन लाए जाते हैं, सदस्यों के संदर्भ के लिए सामान्यता आवास एवं विशेषतया: सहकारी आवास से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा उपभोक्ता मंचों द्वारा दिए गए फैसलों का संकलन किया जाता है।
  - ' हैंड बुक ऑन कोआपरेटिव हाउसिंग स्टैटिस्टक्स' का नियमित अन्तराल पर प्रकाशन किया जाता है जोकि एक संदर्भ दस्तावेज है जिसमें विस्तृत रूप से आवास एवं सहकारी आवास सांख्यिकी शामिल है।

- आवास सहकारिताओं के लिये विभिन्न विषयों पर दिशा निर्देश जारी करता है।

- **प्रचार एवं जन सम्पर्क**
  - आवास सहकारिताओं को मजबूत बनाने के लिये तथा केन्द्रीय वित्त पोषण संस्थानों यथा जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, हडको तथा व्यावसायिक और सहकारी बैंकों से उचित शर्तो पर शीर्ष सहकारी आवास संघों के लिए नियमित आधार पर आवास ऋण की आपूर्ति सुनिश्चित करना और केन्द्रीय/राज्य सरकारों व अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ सतत सम्पर्क बनाए रखना।
  - सहकारी आवास की गतिविधियों के सिद्धांतों और मूल्यों, प्रकियाओं और लाभों को लोकप्रिय बनाने के लिए हैंडआउट्स का प्रकाशन किया जाता है।
  - विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, विचार-गोष्ठियों तथा एनसीएचएफ सचिवालय में पधारे शिष्टमंडलों को वीडियो फिल्म दिखाई जाती है जिसमें आवास सहकारिताओं की उपलब्धियां दर्शायी गयी हैं।

5. सूचना हासिल करना

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएचएफ) निम्नलिखित के जरिये सूचना सामग्री सुलभ करता है:-

क) प्रकाशन, पैम्फलेट, हैंडआउट्स;

ख) आवास सहकारिताओं की उपलब्धियों पर वीडियो फिल्म;

ग) कार्यशालाओं, कांफ्रेसों, सेमिनार, प्रदर्शनियों में भाग लेकर;

घ) वेबसाईट (www.nchfindia.net)

6. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार आवश्यक जानकारी वेबसाइट (www.nchfindia.net) पर डाल दी गयी है।

7. शिकायत निवारण विन्यास

एनसीएचएफ शीर्ष सहकारी आवास संघों की गतिविधियों में समन्वय व मार्गदर्शन देता है तथा वह स्वयं ऋण की व्यवस्था या निर्माण कार्य नहीं करता। जैसेकि वह किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं है जिसमें दिन-प्रतिदिन के लेनदेन शामिल होते हैं और न ही प्रत्यक्ष सार्वजनिक गतिविधियों में। इसलिए एनसीएचएफ के लिए पब्लिक इसके सदस्य शीर्ष सहकारी आवास संघ हैं। एनसीएचएफ का निदेशक मंडल, इसकी प्रशासनिक मामलों में परम प्राधिकारी की भूमिका निभाता है। वित्तीय सतर्कता की निगरानी आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लगातार की जाती है। सदस्यों से प्राप्त शिकायतें/सुझाव विचार और समुचित कार्यवाही के लिये निदेशक मंडल के समक्ष पेश किये जाते हैं।

किसी प्रकार की शिकायत के मामलें में, सदस्य सम्पर्क कर सकते हैं:

मुख्य कार्यकारी
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ,
6ए/6 सीरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110049
फोन न. 011-26490535/26491736/46006349
फैक्स न. 011-26495450
ईमेल nchf2001@yahoo.com; nchf2001@gamil.com

8. सूचना और सुविधा

एनसीएचएफ एक छोटा, गैर-कारोबारी, गैर-लाभकारी उन्नतिशील संगठन है, जो अल्प बजट के साथ कार्य करता है। उसके पास सीमित स्टाफ है जो विभिन्न प्रमोशनल गतिविधियों को संचालित करता है। मुख्य कार्यकारी का, जो निदेशक मंडल/कार्यकारी समिति तथा अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करता है, स्टाफ पर पूरा नियंत्रण होता है। एनसीएचएफ सचिवालय में प्राप्त पत्रादि को मुख्य कार्यकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित स्टाफ को भेजा जाता है। पत्राचार की अलग-अलग रजिस्टरों (प्राप्ति व प्रेषण) में रोजाना आधार पर प्रविष्टि की जाती है।

स्वागत कक्ष एनसीएचएफ कार्यालय भवन के प्रवेश द्वार पर है जोकि सूचना और सुविधा काउंटर के रूप में कार्य कर रहा है। एनसीएचएफ गतिविधियों पर पैम्फलेट, प्रकाशनों की सूची, सदस्यों की सूची उपर्युक्त काउंटर से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी प्रकार की नीति, कार्यक्रम, प्रशासनिक, वित्तीय व कानूनी मामलों की जानकारी के लिये निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता है।

मुख्य कार्यकारी
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ,
6ए/6 सीरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110049
फोन न. 011–26490535/26491736/46006349
फैक्स न. 011–26495450
ईमेल nchf2001@yahoo.com; nchf2001@gamil.com
एनसीएचएफ की वेबसाईट (www.nchfindia.net) को सहकारी आवास पर सामान्य जानकारी के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसमें एनसीएचएफ एवं उसके सदस्य संघों के लक्ष्य, उद्धेश्य और उपलब्धियां शामिल हैं। बेवसाइट पर सहकारिता सिद्धान्तों, सुप्रीम कोर्ट के संगत फैसलों, एनसीएचएफ बुलेटिन के ताजा अंक तथा विभिन्न विषयों पर लेख आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं।

9. जनता से अपेक्षाएं

अपने कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर जिन क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है, वहां पर एनसीएचएफ को अपने सदस्य संघों, निदेशक मंडल के सदस्यों तथा आवास सहकारिताओं से निरंतर फीड–बेक की उम्मीद है।